न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 25/2025
जीसीएमएस सं. 2025/25

अपीलांटः–

नाथु सिंह पुत्र स्व. श्री मोहब्बत सिंह उर्फ मोहब्बत उम्र 60 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम नंदवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, पत्नि श्री भंवरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम फीच तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. श्रीमती सारू पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, पत्नि श्री कानसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम बिठू तहसील रोहिट जिला पाली।
3. श्रीमती माडुदेवी पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिह उर्फ मोहब्बत, पत्नि श्री हीरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम गोविन्दला तहसील भाद्राजूण जिला जालोर।
4. श्रीमती फुली पुत्री स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, पत्नि श्री बाबूसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम बीठू तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. श्रीमती भिकी देवी पत्नि स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. जगदीश पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. पुखराज पुत्र स्व. श्री मोहब्बतसिंह उर्फ मोहब्बत, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
8. भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री अणदाराम उर्फ आनंदसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
9. हंसराजसिंह पुत्र स्व. श्री अणदाराम उर्फ आनंदसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
10. प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री अणदाराम उर्फ आनंदसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
11. हुकमसिंह पुत्र स्व. श्री अणदाराम उर्फ आनंदसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12. श्रीमती अजोद्या पुत्री स्व. श्री आनंदसिंह उर्फ अणदाराम, पत्नि श्री खीमसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी गांव धांदीया तहसील लूणी जिला जोधपुर।
13. श्रीमती लेहरी पुत्री स्व. श्री आनंदसिंह उर्फ अणदाराम, पत्नि श्री कानसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी गांव मडला तहसील सोजत जिला पाली।
14. श्रीमती पप्पू पुत्री स्व. श्री आनंदसिंह उर्फ अणदाराम, पत्नि श्री भगवानसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी गांव बीठू तहसील रोहिट जिला पाली।
15. बंशीलाल पुत्र स्व. श्री अणदाराम उर्फ आनंदसिंह के कायम मुकाम–

15/1 मनोहरसिंह पुत्र स्व. श्री बंशीलाल

15/2 भंवरी पत्नि स्व. श्री बंशीलाल,

15/3 उम्मेदसिंह पुत्र स्व. श्री बंशीलाल,

15/4 सोभा पुत्री स्व. श्री बंशीलाल, जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

16. लालूराम उर्फ लालसिंह के कायम मुकाम–

16/1 किशनसिंह पुत्र स्व. श्री लालूराम उर्फ लालससिंह,

16/2 माणकसिंह पुत्र स्व. श्री लालूराम उर्फ लालससिंह,

16/3 पूनमसिंह पुत्र स्व. श्री लालूराम उर्फ लालससिंह,

16/4 प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री लालूराम उर्फ लालससिंह, सभी जातियान नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

16/5 सायरकंवर पुत्री स्व. श्री लालूराम उर्फ लालससिंह पत्नि श्री श्रवणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव डोली काकाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

17. नारायणसिंह पुत्र स्व. श्री कनीरामजी, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश तहसीलदार लूणी जरिये नामांतरकरण सं. 555 दिनांक निल को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री अमर सिंह चौधरी (अपीलांट की ओर से)
02. प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 17 तक नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक 12.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत, तहसीलदार, लूणी द्वारा ग्राम–नन्दवान के नामान्तरकरण संख्या 555 पर पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे गए। प्रत्यंर्थीगण पर नोटिस डिलीवर होने के सबूत स्वरूप पोस्ट ट्रेक रिपोर्ट्स की प्रतियां व रसीदे अपीलांट अधिवक्ता ने प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई। नोटिस डिलीवर होने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण की ओर से किसी ने भी उपस्थिति नहीं दी, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है तथा प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार अपीलांट के दादा कनीरामजी का ग्राम नन्दवान के ख.न. 234 रकबा 43–12 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज था। कनीरामजी के चार पुत्र अपीलांट के पिता मोहब्बतसिंह, अणदाराम, लालूराम व नारायण सिंह है, जिनके वारिशान प्रत्यर्थीगण 1 से 17 तक है। कनीरामजी का देहान्त होने पर ग्राम नन्दवान का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 555 पटवारी नन्दवान द्वारा कनीरामजी के पुत्र अणदा, लालू व नारायण के नाम 1/4 हिस्सा का दर्ज किया तथा कनीराम के अन्य पुत्र मोहब्बत सिंह (अपीलांट के स्वर्गीय पिता) का नाम नामान्तरकरण में दर्ज ही नहीं किया गया, जो कि विधि प्रावधानों के विपरीत है तथा मोहब्बतसिंह का कनीरामजी की सम्पति में 1/4 हिस्सा (अर्थात् कुल सम्पति में 1/16 हिस्सा) कानूनी रूप से दर्ज होना चाहिए था, परन्तु कनीरामजी के सभी वारिशान की सही जांच किए बिना ही केवल तीन पुत्रों के नाम ही दर्ज किए है, जिसकी सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी दिनांक 25.07.2024 को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर एवं दिनांक 29.07.2024 को आक्षेपित नामान्तरकरण व जमाबंदी की नकल पटवारी से लेने पर हुई। अपीलांट का यह भी कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 555 के बाद बेचाननामा को स्वर्गीय कनीरामजी के जायन्दा पुत्र बक्तावरजी के हिस्से से अधिक किया गया बेचाननामा को प्रभावहीन घोषित किया जावे व उसके नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 555 को निरस्त किया जावे। कनीरामजी के जायन्दा उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट के पिता के हक–हिस्से तक के बेचाननामा को प्रभावहीन किया जाकर उसके नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे।

4- अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता नें दिनांक 23.01.2026 को लिखित बहस पेश की है। जिसमें अपील मीमों में अंकित अभिवचनों की पुनरावृति की है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए। 2008(2)RRT-1408, 2013(1) RRT-473, AIR-2018 SC-701 जगतारसिंह बनाम VS State, 1998 SCC- SC- 123 (बाल किशन बनाम कृष्ण मूर्ति), 2002 (1) RRT-257 (साइबाई बनाम सीम्भू)

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा तहसीलदार लूणी से प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 555 का अध्ययन कर अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित कथनों/तर्को पर मनन किया।

6. (a) मूल नामान्तरकरण संख्या 555 में अंकित विवरण अनुसार ग्राम नन्दवान का खसरा संख्या 234 रकबा 43–12 बीघा भूमि सुन्दरलाल पुत्र उमरावमल 1/2 हिस्सा, जोरा पिता भोमा पीटल 1/4 हिस्सा तथा कनीराम के फौत होने पर इनके वारिशान के नाम दर्ज किया है। कनीराम की जगह अणदा, लालू, नारायण पि. कनीराम 1/4 हिस्सा दर्ज किया है, जिसे भू. अ. निरीक्षक ने दिनांक 08.12.1978 को जांच किया है तथा बाद में स्वीकृत हुआ है। सन् 1978 में तहसील लूणी आस्तित्व में ही नही थी, परन्तु वर्तमान तहसील लूणी का क्षेत्र जोधपुर तहसील का ही भाग था।

(b) उक्त इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलांट नाथुसिंह के पिता मोहब्बतसिंह का नाम कनीराम के अन्य वारिशान के साथ दर्ज नही किया गया है। अपीलांट के अभिवचनानुसार, मोहब्बतसिंह का देहान्त हो चुका है तथा मोहब्बतसिंह के वारिशान अपीलांट नाथूसिंह तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 से 7 तक को बताया है। अपीलांट ने अपनी उम्र 60 वर्ष अंकित की है तथा सन् 1978 में स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील लगभग 45 वर्ष बाद पिता की मृत्यु के बाद पेश की है तथा दादा की मृत्यु पर दर्ज नामान्तरकरण को आक्षेपित किया है।

(c) अपीलांट ने अपील मीमों के पैरा संख्या–5 में अंकित किया है कि कनीरामजी के जायन्दा पुत्र बक्तावरजी के हिस्से से अधिक बेचान को प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा बेचाननामों के आधार पर दर्ज किए गए नामान्तरकरणों को भी अपास्त किया जावे। ये बेचाननामे किसके द्वारा, किससे व कब किए है, तथा उसका कौन से नम्बर का नामान्तरकरण दर्ज किया है, इसका कोई उल्लेख अपील मीमों में नही है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(d) पैरा सं. 06 में दिनांक 25.07.2024 को बेदखली की धमकी देने पर म्युटेशन की सर्वप्रथम दिनांक 29.07.2024 को नामान्तरकरण संख्या 555 की नकल लेने पर जानकारी होना अंकित किया। उक्त तथाकथित धमकी किसने दी? इसका कोई उल्लेख मीमों में नहीं है।

(e) अपीलांट ने अपील के साथ ग्राम नन्दवाण की सम्वत् 2076–2079 जमाबंदी 2078 (वर्ष–2021) से स्थायी, खाता संख्या 47 की नकल पेश की है, जिसके अनुसार ख.नं. 234 रकबा 7.0577 हैक्टर भूमि उमाराम, ककु, कमला, करनाराम, केहराराम, किरण कंवर, किशन सिंह, गंगली, गजकी, जेरूपराम, जीयाराम, तुलछाराम, तुलछी, दुर्गाराम, दानाराम, पूनाराम, बींजाराम, भेराराम, भींयाराम, रामी, शिवाराम, सुआ, सारीदेवी, हीराराम सभी जाति पटेल के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा कनीरामजी के एक भी वारिशान का नाम ख.नं. 234 की भूमि में वर्तमान में नहीं है तथा कनीरामजी के अन्य वारिशान प्रत्यर्थी सं. 1 से 17 तक ने उपस्थित होकर अपना पक्ष भी नही रखा है।

उक्त इन्द्राजों से स्पष्ट होता है कि कनीराम के जिन तीन पुत्रों के नाम, आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 555 से ख.नं. 234 की भूमि दर्ज की गई थी, उन्होने सम्पूर्ण आराजी हस्तान्तरित कर दी है। इस तथ्य की जानकारी अपील मीमों अनुसार अपीलांट को भली भांति है, परन्तु फिर भी सभी क्रेताओं को अपील में पक्षकार संयोजित नही किया है, जबकि वर्तमान रिकार्ड में दर्ज खातेदार आवश्यक पक्षकार, जिन्हे सुने बिना इस अपील का निस्तारण नही किया जा सकता। आक्षेपित नामान्तरकरण को मोहब्बतसिंह ने कभी भी चेलेंज नही किया तथा न ही मोहब्बत सिंह की फौतेदगी पर अपीलांट ने चेलेन्ज किया है। इस प्रकार अपीलांट घोर लापरवाह रहा है।

(f) अपीलांट ने इस अपील के माध्यम से जो इस्तदुआ मांगी है, वह नामान्तरकरण की समरी व संक्षिप्त कार्यवाही में नही दी जा सकती। अपीलांट ने कनीरामजी के जाइन्दा पुत्र बक्तावरजी के हिस्से से अधिक बेचान को प्रभावहीन घोषित करने की मांग की है, जो सिर्फ नियमित वाद में ही सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है। यह बक्तावरजी कौन है? इसका बार–बार अपील मीमों में कनीरामजी के जायन्दा पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि शीर्षक में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है।

(g) अपीलांट ने यह भी लिखा है कि अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस ही नहीं दिया, लेकिन 1978 में अपीलांट की क्या हैसियत थी? अपीलांट के पिता जीवित थे या नही? इसका कोई अंकन नही है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर सर्वप्रथम दिनांक 25.07.2024 को धमकी से जानकारी होना अंकित किया, जो मानने योग्य नही है। अपीलांट ने 45 वर्ष बाद दादा कनीराम की मृत्यु पर भरे नामान्तरकरण को अब आक्षेपित किया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण पर्याप्त व समुचित नही होने से मानने योग्य नही है। सिर्फ सरसरी तरीके से काल्पनिक तरीके से 25.07.2024 की तिथि अपील को म्याद सीमा में लाने हेतु अंकित की है। ऐसे अपर्याप्त आधारों पर म्याद कन्डोन करने का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, फलस्वरूप यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

8. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल मात्र सरसरी व समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग मात्र है, जिसके माध्यम से पक्षकारों के हक, अधिकारो, स्वत्वों एवं आधिपत्य का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकार के अधिकार का निर्धारण केवल मात्र नियमित वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा ही समुचित साक्ष्य/सबूत लेकर, तनकीयात कायम करके ही किया जा सकता है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मेरिट पर भी अस्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित है।

आदेश

10. परिणामतः अपीलांट द्वारा ग्राम नन्दवाण के नामान्तरकरण संख्या 555 (ख.नं. 234 रकबा 43–12 बीघा) पर पारित आदेश को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से म्याद बाहर पेश होने के साथ–साथ गुणावगुण पर भी अस्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं. 555 पर पारित आदेश की पुष्टि की जाकर उसे यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को लौटाया जावे।

12. प्रकरण में लम्बित स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है तथा अन्य लम्बित प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

13. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील सं. 25/2025
जी.सी.एम.एस. नं. 2025/25

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी),
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर